फर्द अहकाम

कार्यालय सहायक कलक्टर(SDO) मावली, उदयपुर

प्रार्थी : श्री गंगाराम **विपक्षी : श्री रामेश्वर**

किस्म मुकदमा – 88,53,188 रा.का. अधिनियम **पत्रावली संख्या : 260/11**

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
	दिनांक : 31.08.2020 पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता उभय पक्षकारान उपस्थित। अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस पर मनन किया। प्रकरण में वादी द्वारा नया वाद लाने की अनुमति के साथ विड्रो किया जाने का निवेदन किया। प्रतिवादी अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया कि बिना अनुमति के ही वाद विड्रो किया जावें। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। प्रकरण में वादी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 3 जा.दी. का पेश कर निवेदन किया कि प्रकरण में उभय पक्षकारान के मध्य आपसी राजीनामा हो चुका हैं, व बिकावनाम पक्षकारान द्वारा लिखा जा चुका है, इसलिए इस वाद में कोई कार्यवाही नहीं चाहकर वाद को पुनः लाने की शर्त पर विड्रो कराना चाहते है। प्रकरण के अवलोकन से प्रकरण में वादी द्वारा दिनांक 24.08.2011 को वाद प्रस्तुत किया गया है। प्रकरण में प्रतिवादीगण का किसी प्रकार का कोई प्रतिवाद मौजूद नहीं है। वादी अपने वाद को किसी भी समय वापस ले सकता है। अतः आपसी राजीनामा हो जाने से व प्रकरण में कोई कार्यवाही नहीं चाहने से वादी द्वारा प्रस्तुत किया गया विड्रो का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य पाया जाता है। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रकरण में वादी व प्रतिवादीगण के मध्य आपसी राजीनामा हो जाने से प्रार्थना पत्र आदेश 23 नियम 3 जा.दी. एवं धारा 151 जा.दी. का स्वीकार कर नया वाद लाने की शर्त पर वादी का वाद इसी स्तर पर ड्रोप किया जाता हैं। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो। निर्णय खुले ईजलास लिखाया जाकर सुनाया गया। **(रमेश सीरवी पुनाडिया)** **सहायक कलक्टर** **(SDO)मावली**	

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2020.09.15 13:46:51 IST
Reason: SelfAttested